





<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>2/2/26</p>	<p>वास्ते नम्बर 27/2/26 से पत्र की  उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी</p>	<p>31/4/26</p>
<p>27/2/26</p>	<p>वास्ते नम्बर 23/3/26 से पत्र की  उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी</p>	
<p>27/3/26</p>	<p>कानूनी प्रश्न / अधिवक्तागण . न्यायिक प्रश्न / P.O. से सी. आ. प्रश्न / प्रकाश में म. प्र. व वास्ते नम्बर 31/3/26 को पत्र हो।</p>	
<p>31/3/26</p>	<p>वास्ते नम्बर 17/4/26 से पत्र की  उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कौटा (राज.)</p>	
<p>17/4/26</p>	<p>पत्रा. पैरा 1 प्रकरण 28/8/23 से तलबी पर ही चल रहा है। वादी ने धारा 212 RT Act के तहत यह प्रार्थना की है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी ने यह शौहरत फैलायी है कि वह वादग्रस्त भूमि पर पर्द - पर्द करके रहेगा। उक्त आशंका पर वादीगण का 1/8 हिससा दर्ज है। परन्तु शौहरत</p>	<p> उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी</p>

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम या में ज हु
---------------	-----------------------------------	--

फैसले के तर्क पर स्थान
 आदेश का औचित्य नहीं बनता
 2-5 years के उपरान्त ही वादी
 द्वारा कोई लय पैरा नहीं
 हुआ कि प्रतिवादी वादी की
 आराजी को खूद-खूद करने का
 आमादा है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र निरस्त
 किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दायित्व
 दफ्तर है।



Che
 उपस्थित नही स्वरी
 रामगढ़ मण्डली